(45)

मध्यप्रदेश शासन

वल्लभ भवन

मंत्रालय, वन विभाग भोपाल

क्र./4689 /3293/2007/10–2 भोपाल दिनांक 10/12/2007

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश भोपाल।

JFM
CCF
JFM & FDA
M.P.
13/12/07

विषय :– उत्कृष्ठ कार्य करने वाले वन कर्मचारी, वन समिति तथा वन समितियों के सदस्यों को पुरूस्कृत करने की योजना।

संदर्भ :– आपकी अशासकीय टीप क्रमांक 187 दिनांक 27.10.07

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का करें। आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार तीन पुरूस्कार योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(अ) वन समितियों को उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरूस्कार योजना
(ब) वन समिति सदस्यों को उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरूस्कार की योजना
(स) वन अधिकारी/कर्मचारी को उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरूस्कार योजना

उपरोक्त योजनाओं की अनुमोदित प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार तीन योजनाओं की प्रति।

10/12/07

(मीनाक्षी मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग

9502
12/12

प्रधान मु.व.स.
म.प्र. भोपाल
11/12/07

मु-व-सं. (JFM)

(अ) वन समितियों कोउत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार योजना

भूमिका :– वन एवं वन्यप्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन में वन समितियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उत्कृष्ठ कार्य कर रही समितयों को पुरस्कृत किये जाने के लिए यह योजना बनाई गई है। यह पुरस्कार प्रत्येक वनमण्डल की एक उत्कृष्ठ समिति को दिया जाएगा।

आधार :– उक्त पुरस्कार हेतु वन समितियों द्वारा वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा में किया गया विशेष योगदान, नवाचार, वन अपराधों में आई कमी, अदम्स साहस, समितियों की सहभागिता का स्तर, स्वयं के प्रयासों से अर्जित वित्तीय संसाधन से किये गये विकास कार्य एवं अर्जित राशि का वन संवर्धन कार्यों में उपयोग, कार्य की निरंतरता एवं फैलाव आदि बिन्दुओं पर पिछले 5 वर्षों में किये गये कार्यों/प्रयासों का आंकलन किया जावेगा।

प्रक्रिया :– इच्छुक समितियां पुरस्कार हेतु अपना आवेदन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रेषित करेंगी। आवेदन के साथ समितियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न किया जाएगा। परिक्षेत्राधिकारी द्वारा अपने टीप/अनुशंसा सहित उक्त आवेदन वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी (सदस्य सचिव) को प्रेषित किया जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

चयन समिति :– आवेदनों का परीक्षण निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाकर पुरस्कार हेतु वन समिति का चयन किया जायेगाः–

1. वन संरक्षक	–	अध्यक्ष
2. वृत्त के समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी	–	सदस्य
3. संचालक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	–	सदस्य
4. वन संरक्षक द्वारा नामांकित सहायक वन संरक्षक	–	सदस्य
5. वन संरक्षक द्वारा नामांकित परिक्षेत्र अधिकारी	–	सदस्य
6. वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी	–	सदस्य सचिव

<u>आंकलन</u> :— चयन समिति द्वारा वन समितियों के कार्यो के आंकलन हेतु निम्नानुसार मापदण्डों के लिए 1 से 5 तक अंक दिये जायेंगे :—

मापदण्ड				
नवाचार/ विशिष्टता (Innovative-ness)	कार्य में सहभागिता (Participation)	कार्य की प्रभावशीलता (Impact) (वन अपराध में आई कमी, संपादित वन एवं ग्राम विकास कार्य)	कार्य की निरंतरता एवं फैलाव (Continuity & Replicability)	अदम्य साहस (Exemplary Courage)

<u>पुरस्कार</u> :— प्रत्येक वनमण्डल कीअधिकतम अंक पाने वाली समिति को रूपये 25,000/— नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया जावेगा। यह पुरस्कार समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा प्राप्त किया जावेगा एवं प्राप्त राशि समिति की रहेगी।

पुरस्कृत वन समितियां अगले पांच वर्ष तक पुनः आवेदन देने के पात्र नहीं होंगी। अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार प्राप्त वन समितियां भी अगले पांच वर्ष तक इस पुरस्कार हेतु आवेदन देने के पात्र नहीं होंगी।

10/12/07

ब. वन समिति सदस्यों को उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार की योजना

भूमिका :— वन एवं वन्यप्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन में वन समितियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वन समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से समितियों के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करने हेतु यह योजना बनायी गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय वनमण्डल/वन्यप्राणी क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एक वन सुरक्षा समिति सदस्य, एक ग्राम वन समिति सदस्य एवं एक ईको विकास समिति सदस्य को पुरस्कृत किया जावेगा।

आधार :— उक्त पुरस्कार हेतु वन समितियों के सदस्यों द्वारा वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा में किया गया विशेष योगदान, नवाचार, वन अपराधों में आई कमी, अदम्स साहस, समिति सदस्यों की सहभागिता का स्तर, कार्य की निरंतरता, फैलाव एवं प्रेरणा आदि बिन्दुओं पर पिछले 5 वर्षों में किये गये कार्यों/प्रयासों का आंकलन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की समितियों में निम्नानुसार विशिष्ट कार्यों का आंकलन किया जायेगा :—

1. वन सुरक्षा समिति सदस्य द्वारा वनों की सुरक्षा तथा वनक्षेत्र के पुर्नरूत्पादन में वृद्धि हेतु किया गया विशेष योगदान।
2. ग्राम वन समिति के सदस्य द्वारा वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन में किया गया विशेष योगदान।
3. ईको विकास समिति के सदस्य द्वारा वन्यप्राणी सुरक्षा एवं ईको विकास में किया गया विशिष्ट योगदान।

प्रक्रिया :— इच्छुक वन समिति सदस्य अपना आवेदन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिसे परिक्षेत्राधिकारी द्वारा अपने टीप/अनुशंसा सहित वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, (सदस्य सचिव) को प्रेषित किया जावेगा। आवेदन के साथ समिति सदस्य द्वारा किये गये कार्यों का विवरण संलग्न किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

चयन समिति :— प्राप्त आवेदनों का परीक्षण निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाकर पुरस्कार हेतु वन समिति सदस्यों का चयन किया जायेगाः—

1. वन संरक्षक — अध्यक्ष
2. वृत्त के समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी — सदस्य
3. संचालक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य — सदस्य
4. वन संरक्षक द्वारा नामांकित सहायक वन संरक्षक — सदस्य
5. वन संरक्षक द्वारा नामांकित परिक्षेत्र अधिकारी — सदस्य
6. वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी — सदस्य सचिव

आंकलन :— चयन समिति द्वारा वन समिति सदस्यों के कार्यों के आंकलन हेतु निम्नानुसार मापदण्डों के लिए 1 से 5 तक अंक दिये जायेंगे :—

मापदण्ड				
नवाचार/ विशिष्टता (Innovativeness)	कार्य में सहभागिता (Participaton)	प्रेरणा	समिति की उपलब्धि में विशिष्ट योगदान	अदम्य साहस (Exemplary Courage)

पुरस्कार :— प्रत्येक वनमण्डल/वन्यप्राणी क्षेत्र के अधिकतम अंक पाने वाले एक वन सुरक्षा समिति सदस्य, एक ग्राम वन समिति सदस्य एवं एक ईको विकास समिति सदस्य कुल तीन समिति सदस्यों को पुरस्कृत किया जायेगा। जिसमें प्रति पुरस्कार रूपये 1000/— नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कृत वन समिति सदस्यों को अगले पांच वर्ष तक पुनः आवेदन देने की पात्रता नहीं होंगी।

(हस्ताक्षर) 10/12/

(स) वन अधिकारी/कर्मचारी को उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार योजना

भूमिका :– वन कर्मचारियों द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु किये जा रहे कार्यो में उनका मनोबल बढ़ाने एवं अपने कर्तव्यों के पालन में स्फूर्ति एवं उत्साह बनाये रखने हेतु कर्मठ एवं उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अमले को पुरस्कृत किये जाने हेतु यह योजना बनायी गयी है।

आधार :– वन कर्मचारियों द्वारा वानिकी कार्यो में पिछले पांच वर्षो में किये गये नवाचार, विशिष्ट योगदान, टीमवर्क, अदम्य साहस एवं कार्य दक्षता में वृद्धि आदि बिन्दुओं पर आंकलन किया जावेगा।

आंकलन :– चयन समिति द्वारा वन समिति सदस्यों के कार्यो के आंकलन हेतु निम्नानुसार मापदण्डों के लिए 1 से 5 तक अंक दिये जायेंगे :–

मापदण्ड				
नवाचार/ विशिष्टता (Innovativeness)	अति विशिष्ट उपलब्धि (Extra ordinary achievement)	अदम्य साहस (Exemplary Courage)	टीम वर्क (Team work)	गोपनीय प्रतिवेदन (Confidential Report)

पुरस्कार :– सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य स्तर एवं वृत्त स्तर पर निम्नानुसार पुरूस्कार दिया जायेगा :–

(1) राज्य स्तर पर :–

क. वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जोन में एक स्वर्ण पदक

जोन–1	भोपाल, बैतूल एवं होशंगाबाद वन वृत्त
जोन–2	ग्वालियर एवं शिवपुरी, वन वृत्त
जोन–3	जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बालाघाट वन वृत्त
जोन–4	इंदौर, उज्जैन एवं खण्डवा वन वृत्त
जोन–5	रीवा, शहड़ोल, छतरपुर एवं सागर वन वृत्त

ख. सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जोन में एक स्वर्ण पदक

जोन–1	भोपाल, बैतूल एवं होशंगाबाद वन वृत्त
जोन–2	ग्वालियर एवं शिवपुरी, वन वृत्त
जोन–3	जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा एवं बालाघाट वन वृत्त
जोन–4	इंदौर, उज्जैन एवं खण्डवा वन वृत्त
जोन–5	रीवा, शहडोल, छतरपुर एवं सागर वन वृत्त

ग. उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को संपूर्ण राज्य में एक स्वर्ण पदक

(2) वृत्त स्तर पर :–

क. उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एक वनरक्षक हेतु स्वर्ण पदक

ख. उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एक वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल हेतु स्वर्ण पदक

पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी अगले पांच वर्ष तक पुनः आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। जिन कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच या दण्ड प्रस्तावित अथवा प्रचलित हो उन्हें भी पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।

चयन समिति :–

राज्य स्तर पुरस्कार हेतु :– राज्य स्तर पर पुरस्कार चयन हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उत्कृष्ठ अधिकारियों का चयन किया जाएगा :–

1.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	–	अध्यक्ष
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	–	सदस्य
3.	मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)	–	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	–	सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)	–	सदस्य सचिव

<u>**वृत्त स्तर के पुरस्कार हेतु**</u> :— वृत्त स्तर पर पुरस्कार चयन हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उत्कृष्ठ अधिकारियों का चयन किया जावेगा।

1.	वन संरक्षक	—	अध्यक्ष
2.	संचालक राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	—	सदस्य
3.	वृत्त के समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी	—	सदस्य
4.	वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी	—	सदस्य सचिव

प्रक्रिया :—

<u>**राज्य स्तर हेतु**</u> :— इच्छुक अधिकारी अपना आवेदन वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, समन्वय को प्रेषित करेंगे। मुख्य वन संरक्षक, समन्वय द्वारा प्राप्त आवेदनों को समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। समिति द्वारा उत्कृष्ठ अधिकारी का चयन कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

<u>**वृत्त स्तर हेतु**</u> :— इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी आवेदन वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से वृत्त मुख्यालय के क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी (सदस्य सचिव) को प्रेषित करेंगे जो उनके द्वारा चयन समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण उपरांत उत्कृष्ठ कर्मचारियों का चयन किया जावेगा एवं इसका अनुमोदन वृत्त के प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त किया जायेगा।